भारत गणराज्य की सरकार

और

ऑस्ट्रिया की संघीय सरकार

के बीच

व्यापक प्रवासन और आवाजाही भागीदारी के संबंध

में करार

भारत गणराज्य की सरकार,

और

ऑस्ट्रिया की संघीय सरकार

दोनों को इसके पश्चात "पक्षकार" के रूप में संदर्भित किया गया है, -

मित्रता और सहयोग के ऐतिहासिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए, जो दोनों पक्षकारों को जोड़ते हैं और निष्पक्ष वैश्वीकरण के हित में ऑस्ट्रियाई-भारतीय रणनीतिक सहभागिता को एक नई गति प्रदान करते हैं,

एजेंडा 2030 और प्रवासन नीति सहयोग के अर्थ के दायरे में तथा दोनों पक्षकारों के बीच सहभागिता की भावना और उनके पारस्परिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित हैं, जहां उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों और संबंधित व्यक्तियों के लाभ को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, के लाभों को ध्यान में रखते हुए

राजनीतिक, आर्थिक, संस्थागत और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान में हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों की घनिष्ठता को स्वीकार करते हुए, उपलब्ध अवसरों के आधार पर छात्रों, शोधकर्ताओं और अन्य योग्य श्रमिकों के एक दूसरे के देश में प्रवास के संबंध में सहयोग को मजबूत बनाने के अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते हुए और अनियमित प्रवासन से निपटने के लिए,

ऑस्ट्रिया में भारतीय छात्रों और पेशेवरों की बढ़ती संख्या को स्वीकार करते हुए और यह मानते हुए कि इस तरह के मानवीय आदान-प्रदान और प्रवासी आवाजाही लोगों को एक साथ लाने में मदद करते हैं और यह कि सहभागिता में गतिशीलता का प्रबंधन दोनों देशों के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का कारक है,

उचित आवाजाही के आधार पर अस्थायी प्रवास को सुविधाजनक बनाने का संकल्प करते हुए,

निष्पक्ष वैश्वीकरण और अच्छे कार्य के उद्देश्य से मूल देश में कौशल के हस्तांतरण को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए,

अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून के अनुसार अनियमित प्रवास, प्रवासियों की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने और दबाने के लिए संयुक्त रूप से उचित कदम उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हुये,

इस करार के माध्यम से और पारस्परिकता के आधार पर, उन व्यक्तियों की पहचान और वापसी के लिए त्वरित और प्रभावी प्रक्रियाओं को स्थापित करने की इच्छा से, जो दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश, उपस्थिति या निवास

की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं या पूरा करने के योग्य नहीं रहे हैं, और सहयोग की भावना से ऐसे व्यक्तियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए,

प्रवासन मुद्दों और वीज़ा नीति के संबंध में यूरोपीय संघ-भारत उच्च स्तरीय संवाद को ध्यान में रखते हुए, जिसके कारण भारत और यूरोपीय संघ तथा सदस्य देशों के बीच **प्रवासन और गतिशीलता** पर समान एजेंडा पर संयुक्त घोषणा हुई , जिस पर 29 मार्च 2016 को हस्ताक्षर किए गए हैं;

अपने संबंधित राष्ट्रीय कानून और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों और अभिसमयों में निर्धारित अधिकारों और गारंटियों का सम्मान करते हुए,

निम्नानुसार सहमत हुई हैं:

भाग 1

सामान्य उद्देश्य

अनुच्छेद 1

करार का दायरा

(1) इस करार का उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों में पक्षकारों के बीच सहयोग स्थापित और विकसित करना है:
1. प्रवासन और गतिशीलता के प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा देना, ऑस्ट्रिया और भारत के बीच लोगों से लोगों के संबंधों के मूल्य को स्वीकार करना;

2. प्रासंगिक प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी साझा करके किसी भी पक्षकार के नागरिकों की आवाजाही को बढ़ावा देना;

3. लाभकारी रोजगार के प्रयोजन से किसी भी पक्षकार के नागरिकों के लिए लंबी अवधि के निवास को बढ़ावा देना।

4. अनियमित प्रवासन और मानव तस्करी और तस्करी और इसके परिणामों को रोकना और इससे निपटना;

5. दोनों में से किसी भी देश में रहने वाले किसी पक्षकार के ऐसे नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाना, जो संबंधित राष्ट्रीय आव्रजन अथवा निवास संबंधी कानूनों और/या यूरोपीय संघ के ऐसे कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं;

6. प्रवास, वापसी और आवाजाही संबंधी मुद्दों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना करना; और

7. प्रवासन डाटा और आंकड़ों, विशेष रूप से वीजा संबंधी आंकड़ों का आदान-प्रदान।

(2) यह करार दोनों पक्षकारों के बीच प्रवास और आवाजाही के लिए, उनकी विशिष्ट क्षमताओं की सीमा के भीतर और उनके राष्ट्रीय कानून, प्रक्रियाओं और संसाधनों के अनुसार और अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानकों का पूर्ण सम्मान करते हुए सहभागिता स्थापित करता है।

(3) इस करार के अनुसरण में सभी कार्रवाइयां संगत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पक्षकारों के दायित्वों के अनुरूप होंगी।

भाग 2

अस्थायी प्रवास के संबंध में सहयोग

अनुच्छेद 2

अल्पकालिक **मल्टीपल-एंट्री वीजा**

(1) दोनों पक्षकार अपने-अपने दायित्वों के अनुपालन में और राष्ट्रीय तथा यूरोपीय संघ कानून के लागू नियमों के ढांचे के भीतर, यदि प्रवेश करने, ठहरने और विदेशियों के लिए कार्य करने संबंधी प्रासंगिक शर्तें पुरी होती हैं तो दूसरे पक्षकार के नागरिकों को अल्पकालिक, मल्टीपल-एंट्री वीजा जारी करेंगे ।

(2) इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यक्तियों की श्रेणियां शामिल हैं:

व्यापार आगंतुक, पत्रकार, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ।

(3) ऑस्ट्रिया के लिए पुरी तरह से शेंगेन वीज़ा, जो वीजा के संबंध में कम्युनिटी कोड (वीज़ा कोड) (ओजे एल 243, 15.9.2009, पृष्ठ 1) स्थापित करने वाला विनियम (ईसी संख्या 810/2009) है, को पुरी तरह से लागू करता है, जो यूरोपीय संघ के सदस्य देश के क्षेत्र में 180-दिन की अवधि में से 90 दिनों से अधिक नहीं है, के लिए ठहरने के लिए वीजा जारी करने के लिए प्रक्रियाओं और शर्तों को स्थापित करता है जिसके साथ 5 साल तक की वैधता के साथ बहु प्रवेश वीजा कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।

(4) भारतीय पक्षकार, लागू राष्ट्रीय कानून के अनुसार, ऐसे बहु-प्रवेश वीज़ा जारी करने की सुविधा पर अनुकूल रूप से विचार करने के लिए तैयार है जो प्रत्येक यात्रा पर छह महीने तक ठहरने की अनुमति देता है और एक से पांच साल के लिए वैध है। ये बहु-प्रवेश वीजा एक वर्ष से पांच वर्ष की वैधता के लिए जारी किए जाएंगे, जो प्रस्तुत दस्तावेजों, भारत गणराज्य में नियोजित गतिविधियों की अवधि और पासपोर्ट की वैधता की अवधि पर निर्भर करता है। पैरा 1 में निर्दिष्ट वीज़ा के लिए 180 दिनों तक की वैधता के लिए यात्रा करने वाले व्यक्तियों को भारत गणराज्य में आगमन पर किसी भी पंजीकरण औपचारिकता को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ठहरने की अवधि 180 दिनों से अधिक होती है तो पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद 2ए

ऑस्ट्रियाई कार्यक्रम "रेड व्हाइट रेड कार्पेट"

ऑस्ट्रियाई पक्षकार नियमित व्यापार आगंतुकों के लिए ऑस्ट्रियाई कार्यक्रम "रेड व्हाइट रेड कार्पेट" को बढ़ावा देने के लिए सहमत है, जो वीज़ा सुविधा प्रदान करता है जैसे कि बहु प्रवेश वीजा जारी करना , जिसे प्रसिद्ध और "सद्भावनापूर्ण" घोषित किया गया है। "रेड व्हाइट रेड कार्पेट" के तहत भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को भारतीय पक्षकार को प्रदान किए गए ऑस्ट्रियाई पक्षकार के एक गैर-बाध्यकारी व्याख्यात्मक पत्र में रेखांकित किया गया है ।

भाग 3

निष्पक्ष आवाजाही की सुविधा के लिए सहयोग

अनुच्छेद 3

छात्रों का प्रवेश; प्रारंभिक पेशेवर अनुभव प्राप्त करना

(1) दोनों पक्षकार उन छात्रों का आदान-प्रदान करके भारतीय-ऑस्ट्रियाई सहयोग को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो एक मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में पंजीकृत हैं और लागू राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून के ढांचे के भीतर भारत या ऑस्ट्रिया में अपनी पढ़ाई शुरू या जारी रखना चाहते हैं। इसके लिए छात्रों के लिए जारी निवास परमिट, जो भारतीय नागरिकों को मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन के उद्देश्य से अस्थायी निवास के लिए सक्षम बनाएगा। यदि डिग्री के लिए प्रगति होती है तो लागू राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून के ढांचे के भीतर अस्थायी निवास को बढ़ाया जा सकता है।

(2) इस करार पर हस्ताक्षर की तारीख पर ऑस्ट्रिया में भारतीय नागरिकों के लिए अध्ययन-संबंधी इंटर्नशिप सहित उच्च शिक्षा संभावनाओं के संबंध में उपलब्ध अवसरों को भारतीय पक्षकार को प्रदत ऑस्ट्रियाई पक्षकार के एक गैर-बाध्यकारी व्याख्यात्मक पत्र में रेखांकित किया गया है।

(3) पक्षकार छात्रों के लिए प्रवेश और निवास की शर्तों के विषय में अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट संयुक्त कार्य समूह के भीतर एक दूसरे को नियमित रूप से सूचित करेंगी और अपने संबंधित आव्रजन कानूनों के भीतर संभावनाओं पर एक द्विपक्षीय आदान-प्रदान स्थापित करेंगी।

(4) ऑस्ट्रियाई पक्षकार, लागू राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून के ढांचे के भीतर, अध्ययन के उद्देश्यों के लिए पात्र भारतीय नागरिकों को ऑस्ट्रिया गणराज्य में निवास परमिट जारी करेगा। ऑस्ट्रियाई पक्षकार यह देखने के तरीकों और साधनों का पता लगाएगी कि शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छात्र निवास परमिट जितनी शीघ्र हो सके जारी किए जाएँ।

(5) दोनों पक्षकार लागू राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून के ढांचे के भीतर छात्रों को शैक्षणिक शिक्षा पूरी करने के लिए रोजगार की संभावनाओं के बारे में सूचित करने का प्रयास करेंगे। ऑस्ट्रिया गणराज्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य मान्यता प्राप्त तृतीयक शिक्षा संस्थान में अपनी शैक्षणिक शिक्षा पूरी करने के बाद प्रारंभिक

व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय छात्रों को रोजगार के उद्देश्य से ऑस्ट्रिया गणराज्य में प्राप्त योग्यता के अनुरूप लागू राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून के ढांचे में 12 महीने तक अस्थायी निवास जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

(6) ऑस्ट्रिया में रोजगार प्राप्त करने के बाद, लागू राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून के ढांचे के भीतर अहर्क रोजगार के उद्देश्य से निवास परमिट दिया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के लिए रहने की अवधि, इस करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि पर आवश्यकताओं के बारे में और भारतीय पक्षकार को प्रदत अन्य जानकारी ऑस्ट्रियाई पक्षकार के एक गैर-बाध्यकारी व्याख्यात्मक पत्र में उल्लिखित है।

अनुच्छेद 4

छात्रों का आदान-प्रदान

(1) दोनों पक्षकार, लागू राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून के ढांचे के भीतर दूसरे पक्षकार के उन छात्रों के आगमन की सुविधा पर विचार करेंगे जो भारत या ऑस्ट्रिया में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और एक मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में पंजीकृत हैं ।

(2) इस करार पर हस्ताक्षर की तिथि पर ऑस्ट्रिया में उच्च शिक्षा की संभावनाओं के संबंध में भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध अवसरों को भारतीय पक्षकार को प्रदान किए गए ऑस्ट्रियाई पार्टी के एक गैर-बाध्यकारी व्याख्यात्मक पत्र में रेखांकित किया गया है। ऑस्ट्रिया राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ-वित्तपोषित परियोजनाओं के संदर्भ में छात्रों और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों के आदान-प्रदान की संभावना पर भारतीय पक्षकार को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा।

(3) पक्षकार अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट संयुक्त कार्य समूह के भीतर छात्रों के प्रवेश और ठहरने के लिए संबंधित शर्तों के बारे में नियमित रूप से एक दूसरे को सूचित करने के लिए सहमत हैं।

(4) ऑस्ट्रिया में उच्च शिक्षा की संभावनाओं को बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रिया, भारत में गतिविधियों को बढ़ाने के प्रयास करेगा।

(5) ऑस्ट्रियाई छात्र, जो भारत में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उनको भारतीय अधिकारी लागू राष्ट्रीय कानून के अनुसार तीन महीने से अधिक लेकिन 12 महीने की कम अवधि के लिए वैध "एस-6 वीजा" जारी करेगें।

अनुच्छेद 5
रोजगार लेने के उद्देश्य से आप्रवासन

(1) दोनों पक्षकार विदेशियों के प्रवेश, निवास और कार्य से संबंधित नियमों के अनुसार दोनों देशों के बीच योग्य कामगारों की सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित आवाजाही को प्रोत्साहित करते हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नियोक्ताओं और कामगारा संगठनों के बीच ज्ञान और पूर्व-एकीकरण सेवाओं का विस्तार करने की दिशा में संपर्क स्थापित करने और आदान-प्रदान करने के लिए इष्टतम स्थिति का निर्माण करते हैं।

(2) इस समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख को ऑस्ट्रिया में निवास और कार्य के संबंध में उपलब्ध अवसरों को भारतीय पक्षकारों को प्रदान किए गए ऑस्ट्रियाई पक्षकार के एक गैर-बाध्यकारी व्याख्यात्मक पत्र में रेखांकित किया गया है। ऑस्ट्रियाई पक्षकार का कहना है कि योग्य भारतीय कामगारों के लिए प्रवेश, ठहरने और काम पर इसके नियमों की लागू शर्तों के तहत ऑस्ट्रियाई रोजगार बाजार तक पहुंचने के कई अवसर हैं।

(3) दोनों पक्षकार लागू राष्ट्रीय कानून के ढांचे के तहत उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने के लिए योग्य श्रमिकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए, वे अपने देश में प्रवेश, निवास और काम की शर्तों और अपने संबंधित श्रम बाजारों की स्थिति के बारे में अनुच्छेद 15 में संदर्भित संयुक्त कार्य समूह के तहत एक दूसरे को नियमित रूप से सूचित करने और एक द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने और योग्य कामगारों के आप्रवासन और पूर्व-एकीकरण के लिए संभावनाओं और प्रक्रियाओं में सुधार पर आदान-प्रदान के लिए सहमत हैं। ऑस्ट्रियाई पक्षकार वैध निवास परमिट की ठोस संख्या के बारे में भारतीय पक्षकार को सूचित करने के लिए सहमत है, जिसमें यह इंगित किया गया है कि परमिट की शर्तें पूरी होने पर आवेदन संख्या की कोई सीमा नहीं है। यदि एक कैलेंडर वर्ष के तहत ऑस्ट्रिया गणराज्य के लिए रेड-व्हाइट-रेड और रेड-व्हाइट-रेड-प्लस योजना के तहत पहली बार निवास परमिट जारी करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 800 से कम रहती है, तो संयुक्त कार्य समूह स्थिति का विश्लेषण करेगा और योग्य कामगारों की आवाजाही पर सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ाने की संभावनाएं तलाश करने का प्रयास करेगा। उस संख्या में समायोजन संयुक्त कार्य समूह द्वारा तय किया जा सकता है और इसे इस समझौते का औपचारिक संशोधन नहीं माना जाएगा।

(4) ऑस्ट्रियाई पक्षकार विदेश से योग्य श्रमिकों के लिए सरकारी इंटरनेट पोर्टल/वेबसाइट पर योग्य श्रमिकों द्वारा पूर्व-एकीकरण और संभावित आप्रवासन प्रस्तावों के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेगा। ऑस्ट्रियाई संघीय श्रम और अर्थव्यवस्था मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को ऑस्ट्रिया में कमी वाले व्यवसायों की वार्षिक सूची पर अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा जैसा कि ऑस्ट्रियाई श्रम और अर्थव्यवस्था संघीय मंत्री के प्रासंगिक अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया गया है।

(5) दोनों पक्षकार इस बात का महत्व पहचानते हैं कि राष्ट्र एजेंसियों या राष्ट्र-वित्त पोषित भागीदार संगठनों की गतिविधियाँ योग्य पेशेवरों की भर्ती में सहायता कर सकते हैं। भारत सरकार का राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और ऑस्ट्रिया सरकार की ऑस्ट्रियन बिजनेस एजेंसी (एबीए - वर्क इन ऑस्ट्रिया सर्विसेज) इस मुद्दे से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान पर सहयोग की संभावनाएं तलाशेगी।

(6) दोनों पक्षकार इस अनुच्छेद के तहत दूसरे पक्षकार के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत प्रवेश और निवास के लिए आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे।

(7) जिन व्यक्तियों पर इस अनुच्छेद के प्रावधान लागू होते हैं वे राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून के ढांचे के तहत कानूनों, विनियमों, सामूहिक वेतन करारों और काम करने की परिस्थितियों, राष्ट्रीय बीमा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कार्यस्थल सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले रीति-रिवाजों के प्रवर्तन से संबंधित सभी मामलों में मेजबान राष्ट्र के नागरिकों के साथ समान व्यवहार से लाभान्वित होते हैं। उनका नियोक्ता कम से कम उन्हें समान परिस्थितियों में काम करने वाले मेजबान राष्ट्र के नागरिकों को दिए गए वेतन के बराबर वेतन का भुगतान करेगा।

(8) दोनों पक्षकार इस समझौते के अनुच्छेद 15 के तहत गोथे इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं द्वारा भारत गणराज्य में प्रदान किए जाने वाले जर्मन भाषा पाठ्यक्रमों के विस्तार करने के लिए, पूर्व-एकीकरण के पक्ष में, संभावनाओं की जांच करने के लिए अधिदेशित हैं, जिसमें योग्य कामगारों के परिवार के सदस्यों के प्रवासन के लिए आवश्यक भाषा कौशल को प्रमाणित करने के उद्देश्य से भाषा पाठ्यक्रम शामिल हैं।

(9) दोनों पक्षकार पूर्व-एकीकरण के लिए प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई के लिए अनुकूल रूप से विचार करने के लिए तैयार हैं।

अनुच्छेद 6
वर्किंग हॉलिडे

दोनों पक्षकार ऑस्ट्रिया और भारत के बीच एक पारस्परिक वर्किंग हॉलिडे कार्यक्रम पर समानांतर रूप से सहमत हैं ताकि युवा नागरिकों को एक दूसरे के देशों में छुट्टी के प्रवास के संदर्भ में संस्कृति और दूसरे के जीवन के तरीके की सराहना करने का अवसर मिल सके, जिसमें रोजगार और अध्ययन यात्रा के प्राथमिक कारण न होकर अनिवार्यता के आधार पर हो।

अनुच्छेद 7
व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सहयोग

(1) दोनों पक्षकार व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग करने के इच्छुक हैं और दानों पक्षकारों ने इस विचार को साझा किया है कि ऑस्ट्रियाई-भारतीय सहयोग कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की एक नवीन प्रणाली स्थापित करने के लिए भारतीय पक्ष के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा।

(2) सहयोग में, विशेष रूप से, निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं:

1. पक्षकारों की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली पर जानकारी साझा करना;
2. दोनों पक्षकारों के जिम्मेदार निकायों के बीच राजनीतिक और विशेषज्ञ स्तर पर नियमित परामर्श करना;

3. भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नई, नवीन और सतत प्रौद्योगिकियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास की दोहरी प्रणाली पर ध्यान देने के साथ संयुक्त परियोजनाओं को चलाना;

4. संयुक्त सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना; और

5. अध्ययन यात्राओं का आयोजन।

(3) ऑस्ट्रियाई पक्षकार ऑस्ट्रियाई मानकों और भारतीय व्यावसायिक और शैक्षणिक योग्यता की मान्यता पर सूचना के अनुसार भारत में दोहरी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिससे योग्य श्रमिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जाता है।

अनुच्छेद 7ए
स्कूल के छात्र

(1) इस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख को ऑस्ट्रियाई कानून के तहत मान्यता प्राप्त स्कूल (जैसे पब्लिक स्कूल, निजी स्कूल या सार्वजनिक या निजी प्रौढ शिक्षण संस्थान) में जाने के लिए निवास के संबंध में भारतीय पक्षकार को प्रदान किए गए ऑस्ट्रियाई पक्षकार के एक गैर-बाध्यकारी व्याख्यात्मक पत्र में भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध अवसरों की रूपरेखा दी गई है। ।

(2) ऑस्ट्रियाई पक्षकार का कहना है कि सामान्य तौर पर, छात्रों के लिए एक निवास परमिट ऑस्ट्रिया में स्कूल जाने के लिए अस्थायी निवास को समर्थ बनाता है।

अनुच्छेद 8
इंट्रा-कॉरपोरेट ट्रांसफर और इन-हाउस ट्रेनिंग

(1) दोनों पक्षकार एक ही समूह के उद्यमों के बीच सेकेंडमेंट पर योग्य इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर (प्रबंधकों, विशेषज्ञों, स्नातक प्रशिक्षुओं) की निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय आवाजाही को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगें, जिसमें लागू राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून की रूपरेखा के तहत तीन साल के लिए योग्य इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है।

(2) इसके लिए दोनों पक्षकार लागू राष्ट्रीय और यूरोपीय ढांचे के तहत एक ही समूह के उद्यमों के बीच सेकेंडमेंट पर योग्य इंट्रा-कॉरपोरेट ट्रांसफरियों (प्रबंधकों, विशेषज्ञों, स्नातक प्रशिक्षुओं) की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही के लिए आवेदनों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास करेंगे।

(3) ऑस्ट्रिया में आवाजाही के लिए लागू प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं के संबंध में भारतीय इंट्रा-कॉरपोरेट ट्रांसफर के लिए उपलब्ध अवसर, इस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख को, भारतीय पक्षकार को प्रदान किए गए ऑस्ट्रियाई पक्षकार के गैर-बाध्यकारी व्याख्यात्मक पत्र में रेखांकित किए गए हैं।

(4) दोनों पक्षकार अपने देश में प्रवेश, निवास और काम की शर्तों और इस संबंध में आगे की प्रगति के बारे में अनुच्छेद 15 और भारत-ऑस्ट्रिया संयुक्त आर्थिक आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह के तहत एक दूसरे को नियमित रूप से सूचित करने के लिए सहमत हैं।

(5) ऑस्ट्रियाई पक्षकार लागू राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून के ढांचे में, जितनी जल्दी हो सके, ऑस्ट्रिया गणराज्य के लिए अपने नियोक्ता द्वारा समर्थित योग्य इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों को निवास परमिट जारी करने का वचन देता है।

(6) भारतीय पक्षकार "रोजगार वीजा" के एक ही समूह के उद्यमों के बीच भारत गणराज्य के लिए दूसरे ऑस्ट्रियाई कर्मचारियों को जारी करने की सुविधा प्रदान करने का वचन देता है, जिसके तहत दो साल के लिए वैध अस्थायी निवास परमिट दिया जाता है और संबंधित व्यक्ति द्वारा निरंतर रोजगार और आयकर अनुपालन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर, प्रारंभिक रोजगार वीजा जारी करने की तारीख से पांच साल की अधिकतम अवधि के लिए भारत गणराज्य में नवीकरण किया जाता है।

अनुच्छेद 9
परिवार के सदस्य

(1) पति-पत्नी और पंजीकृत भागीदारों के साथ-साथ योग्य कामगारों या शोधकर्ताओं के उनके नाबालिग अविवाहित बच्चों को, लागू राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून द्वारा परिभाषित पूर्वापेक्षाओं के अध्यधीन, संबंधित कानून में दी गई शर्तों के तहत निवास परमिट दिया जात है इसमें पेशेवर गतिविधि की अनुमति प्रदान की जाती है। ऑस्ट्रिया में परिवार के सदस्यों के निवास परमिट के लिए एक आवेदन सक्षम ऑस्ट्रियाई राजनयिक या कोंसुलर प्राधिकरण को जमा करना होगा। आवश्यक वीजा के साथ प्रवेश के बाद और कानूनी प्रवास के दौरान भी आवेदन दिया जा सकता है। ऑस्ट्रिया में भारतीय नागरिकों के परिवार के पुनर्मिलन के लिए आगे की जानकारी इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख को भारतीय पक्षकार को प्रदान किए गए ऑस्ट्रियाई पक्षकार के एक गैर-बाध्यकारी व्याख्यात्मक पत्र में दी गई है।

(2) विशिष्ट प्रकार के निवास परमिट के आधार पर, भाषा कौशल की आवश्यकता हो सकती है। राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ के लागू कानून द्वारा परिभाषित पूर्वापेक्षाओं के अध्यधीन निवास परमिट के लिए भाषा की आवश्यकता से छूट प्रदान की जा सकती है।

(3) दोनों पक्षकार इस अनुच्छेद की शर्तों के तहत परिवार के पुनर्मिलन को सुविधाजनक बनाने के लिए पूर्व-एकीकरण सेवाओं के प्रावधान का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अनुच्छेद 10

शोधकर्ता और डॉक्टरट छात्र

(1) दोनों पक्ष लागू राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून के ढांचे के तहत दोनों देशों के बीच एक उपयुक्त अनुबंध या छात्रवृत्ति के साथ शोधकर्ताओं और डॉक्टरेट छात्रों की आवाजाही को प्रोत्साहित करते हैं।

(2) भारतीय शोधकर्ताओं और डॉक्टरेट छात्रों के लिए इस समझौते के हस्ताक्षर की तिथि पर ऑस्ट्रिया में लागू प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं के अवसर भारतीय पक्षकार को प्रदान किए गए ऑस्ट्रियाई पक्षकार के एक गैर-बाध्यकारी व्याख्यात्मक पत्र में उल्लिखित हैं।

(3) दोनों पक्षकार अनुच्छेद 15 में संदर्भित संयुक्त कार्य समूह के तहत शोधकर्ताओं और डॉक्टरेट छात्रों के लिए प्रवेश और निवास की शर्तों तथा शोधकर्ताओं और डॉक्टरेट छात्रों के पूर्व एकीकरण और आप्रवासन की प्रक्रियाओं की संभावनाओं एवं सुधार के बारे में एक दूसरे को सूचित करते हैं।

(4) एक मेजबानी करार के तहत दूसरे पक्ष के देश में एक सार्वजनिक या निजी अनुसंधान या उच्च शिक्षा संस्थान में अनुसंधान या विश्वविद्यालय स्तर के अनुसंधान से संबंधित शिक्षण करने के इच्छुक ऑस्ट्रियाई और भारतीय नागरिकों के लिए दानों पक्षकार राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून के लागू नियमों में निर्धारित शर्तों के तहत दो साल तक के लिए वैध एक आवासीय परमिट जारी करने की सुविधा प्रदान करेंगे। निवास परमिट को राष्ट्रीय और यूरोपीय संघ कानून के लागू नियमों के तहत उनके शोध या शिक्षण गतिविधियों की अवधि को एक समय में दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।

भाग 4

देश छोड़ने के लिए बाध्य व्यक्तियों की वापसी और अनियमित प्रवास, मानव तस्करी और दस्तावेज़ और वीजा धोखाधड़ी के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग

अनुच्छेद 11

देश छोड़ने के लिए बाध्य व्यक्तियों की वापसी

(1) दोनों पक्षकार अपने उन नागरिकों को पुनःप्रवेश को मान्यता देंगे जो दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में कानूनी प्रवेश, या कानूनी रूप से रहने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, और ऐसे मामलों में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सहमत हैं। दोनों पक्षकार इस पर सहमत हैं कि जो लोग अपने देश में कानूनी रूप से रहते हैं वे इस अनुच्छेद के दायरे में नहीं आते हैं और इस अनुच्छेद के प्रावधान दोनों देशों में से किसी में भी रहने वाले केवल उन नागरिकों पर लागू होंगे जो ऑस्ट्रिया के मामले में लागू राष्ट्रीय और यूरोपीय आप्रवासन या निवास क़ानूनों तथा भारत के मामले में राष्ट्रीय आप्रवासन या निवास क़ानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं।

किसी भी पक्षकार के क्षेत्र में अनियमित रूप से रहने वाले व्यक्ति जिनकी राष्ट्रीयता अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा निर्णायक रूप से सत्यापित की गई है, को अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और पक्षकार के बीच सहमत तौर-तरीकों के साथ, नियत और अनियत दोनों उड़ानों का उपयोग करते हुए, वापस लौटने वाले व्यक्ति की इच्छा की परवाह किए बिना, तुरंत वापस कर दिया जाएगा। अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा राष्ट्रीयता का निर्णायक रूप से सत्यापन करने के बाद ही किसी प्रकार की अनिवार्य वापसी प्रभावी होगी। दोनों पक्षकार इस उद्देश्य के लिए इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3, 4 और 5 में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। जाली दस्तावेजों के माध्यम से राष्ट्रीयता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

(2) दोनों पक्षकार यह स्वीकार करते है कि किसी पक्षकार के क्षेत्र में अनियमित रूप से रहने वाले व्यक्ति की कानूनी स्थिति के संबंध में कम समय सीमा उपयोगी होती है और इसका पालन आवेदन पुन:प्रस्तुत करने और आपातकालीन यात्रा दस्तावेज (ईटीडी)/कांसुलर लाईसेज़-पासर जारी करने दोनों के लिए किया जाना जाना चाहिए।

(3) वापस लौटने वाले ऐसे किसी व्यक्ति, जो किसी भी पक्षकार के भू-क्षेत्र में अनियमित स्थिति में हो, की राष्ट्रीयता के सत्यापन के लिए अनुरोधकर्ता पक्षकार उनके लिए पुन:प्रवेश आवेदन प्रस्तुत करेगा जिसके साथ उस व्यक्ति के पासपोर्ट की एक प्रति, उसके वैधता समाप्त हो चुके पासपोर्ट की एक प्रति और अनुबंध 1 में सूचीबद्ध दस्तावेज़ों में से कोई एक संलग्न करना होगा जो उसकी राष्ट्रीयता सुस्थापित करने का आधार हो और जो अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा सत्यापन के अध्यधीन होगा। ऐसे मामलों में, अनुरोध प्राप्त होने के 30 से 45 दिन के भीतर यदि व्यक्ति की राष्ट्रीयता उसकी संतुष्टि हेतु निर्णायक रूप से स्थापित हो जाती है तो अनुरोधकर्ता पक्षकार संवाद करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास उपयोग करेगा।

(4) यदि अनुबंध 1 में उल्लिखित कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है तो अनुबंध 2 में सूचीबद्ध दस्तावेज, इन दस्तावेजों की वैधता समाप्त होने पर भी, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा विषम स्थिति में किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता को उक्त देश की राष्ट्रीयता के रूप में वैध मानने के आधार के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। यदि ऐसे दस्तावेज पुन: प्रस्तुत करने वाले आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार अन्य पक्षकार के क्षेत्र में अनियमित रूप से रहने वाले व्यक्ति की राष्ट्रीयता को जहां तक संभव हो अनुरोध प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर परंतु 90 दिनों से अधिक नहीं, शीघ्र सत्यापित करने के सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

(5) ऐसे मामलों में जहां पैराग्राफ 3 और 4 लागू हैं है और यह मान लिया जाता है कि किसी पक्षकार के क्षेत्र में अनियमित रूप से रहने वाला व्यक्ति अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार का नागरिक है, तो अनुरोधकर्ता पक्षकार को ईटीडी/कांसुलर लाईसेज़-पासर के संभावित रूप से जारी करने के दृष्टिगत उसकी राष्ट्रीयता का सत्यापन करना होगा। इसके लिए अनुरोधकर्ता पक्षकार के अनुरोध पर राजनयिक मिशन के अधिकारियों या अनुरोधकर्ता पक्षकार के अन्य

सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अविलंब उस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाएगा ताकि उनकी राष्ट्रीयता का सत्यापन किया जा सके। यदि वास्तविक बैठक संभव नहीं है या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, तो दोनों पक्षकार की आपसी सहमति से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग संबंधित पक्षकारों के राजनयिक या कांसुलर अधिकारियों द्वारा ऐसे साक्षात्कार आयोजित करने के लिए किया जा सकता है।

(6) जहां अनुरोधकर्ता पक्षकार ने पुन: प्रस्तुत करने वाले आवेदन का सकारात्मक उत्तर दिया है, और जहां पुन: प्रस्तुत किए जाने वाले व्यक्ति के पास कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं है, वहां अनुरोधकर्ता पक्षकार का सक्षम राजनयिक मिशन अनुरोध पर सात कैलेंडर दिनों के अंदर एक ईटीडी/कोंसुलर पास जारी करेगा जिसकी वैधता की अवधि कम से कम छह माह होगी। ऐसे मामलों में जहां संबंधित व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा है, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध को इस घोषणा के साथ प्रस्तुत करेगा कि उस व्यक्ति के पास अनुरोधकर्ता पक्षकार के देश में रहने का कोई कानूनी आधार नहीं है और संबंधित व्यक्ति के लिए उपलब्ध किसी कानूनी विकल्प पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रावधान के तहत कोई भी कार्रवाई की जाएगी।

(7) अनुरोधकर्ता पक्षकार प्रदान किए गए ईटीडी/कोंसुलर पास का उपयोग करने वाले व्यक्ति को उसकी वैधता समाप्त होने से पहले लौटाने के सभी उचित प्रयास करेगा। यदि अनुरोधकर्ता पक्षकार के तत्काल नियंत्रण से बाहर कारणों जैसे नई कानूनी कार्यवाही, अनुपालन करने से इनकार और फरार होने के कारण लौटाए जाने वाले व्यक्ति को शुरू में जारी किए गए ईटीडी/कोंसुली पास की वैधता की अवधि के अंदर स्थानांतरित नहीं किया जा सका तो, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार का सक्षम राजनयिक मिशन, यह मानने के किसी कारण के न होने पर कि व्यक्ति की परिस्थितियां बदल गई हैं, संबंधित अनौपचारिक अनुरोध के सात कैलेंडर दिनों के अंदर छह महीने की एक और अवधि के लिए एक नया ईटीडी/कोंसुली पास जारी करेगा।

(8) जहां अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार व्यक्ति के पुन: प्रवेश के आवेदन को स्वीकार नहीं करता है, वहां वह उपर्युक्त समय सीमा के अंदर प्रासंगिक कारणों को साझा करेगा। अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन वह अपने निर्णय पर पुन: विचार करने के लिए किसी भी उचित अनुरोध पर विचार करने पर सहमत हो सकता है, जहां अनुरोधकर्ता पक्षकार के पास नए साक्ष्य हों या वह यह मानता हो कि साक्ष्यों के मामलों पर गलतफहमी हुई है।

(9) जहां ऑस्ट्रिया पक्षकार के पास यह साक्ष्य हो कि एक भारतीय नागरिक अपने क्षेत्र में एक असामान्य स्थिति में है और वह ऑस्ट्रिया में पैदा हुए एक नाबालिग बच्चे का माता/पिता है, जिसमें वह भी ऑस्ट्रिया में लागू कानून के तहत एक असामान्य स्थिति में है, लेकिन जिसका जन्म का ब्योरा संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन में पंजीकृत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में भारत बच्चे के लिए ईटीडी/कोंसुली पास प्राप्त करने के लिए प्रमाण के रूप में ऑस्ट्रिया जन्म प्रमाण पत्र को तभी स्वीकार करेगा जब माता-पिता दोनों की राष्ट्रीयता और बच्चे के साथ उनके संबंध की निर्णायक रूप से भारतीय पक्षकार द्वारा पुष्टि की गई हो। इस प्रावधान के तहत कोई भी कार्रवाई बच्चे या उसके माता-पिता के लिए उपलब्ध किसी भी कानूनी विकल्प पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जाएगी। नाबालिग बच्चे का अर्थ उस बच्चे से है, जो अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा अनुरोध प्रस्तुत करने की तारीख को 18 वर्ष की आयु का न हुआ हो।

(10) प्रभावशाली सहयोग के लिए अपनी इच्छानुसार, दोनों पक्षकार इस बात के लिए सहमत हैं कि सबसे तेज संभव डेटा ट्रांसमिशन वाले ई-मेल या संचार के किसी अन्य आधुनिक माध्यम का उपयोग पुनः प्रवेश देने की प्रक्रियाओं में शामिल सक्षम अधिकारियों के बीच संचार के लिए किया जा सकता है। वे यथासंभव, बायोमेट्रिक पहचान के उपयोग के लिए सहमत हैं।

(11) दोनों पक्षकार इस बात के लिए सहमत हैं कि अनुरोधकर्ता पक्षकार अनिवार्य वापसी से जुड़ी लागतों को वहन करेगा।

(12) कोई भी व्यक्ति जो अनुरोधकर्ता पक्षकार के क्षेत्र से लौटा है, उसे अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के अनुरोध पर अनुरोधकर्ता पक्षकार द्वारा इस स्थिति में पुन: प्रवेश दिया जाएगा, जब छह सप्ताह की अवधि के अंदर यह स्थापित हो जाता है कि, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ1 के तहत उस क्षेत्र को छोड़ते समय उस व्यक्ति की अनिवार्य वापसी के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं किया गया था। अपवाद स्वरूप, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार की मांग पर इस अवधि को अधिकतम बारह सप्ताह तक बढ़ाया जा सकता है।

(13) दोनों पक्षकार इस करार के तहत गठित संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक के दौरान चर्चा के लिए पुनःप्रवेश से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के तौर-तरीकों पर निर्णय लेने के लिए सहमत हैं। ऑस्ट्रियाई पक्षकार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मौजूदा पुनःप्रवेश फॉर्म इस करार से जुड़े व्याख्यात्मक पत्र में प्रदान किया गया है।

(14) इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों का विवरण अनुबंध 3 में दिया गया है।

अनुछेद 12

स्वैच्छिक वापसी और पुनः एकीकरण

(1) दोनों पक्षकार दूसरे पक्ष के उन नागरिकों के लिए स्वैच्छिक वापसी को बढ़ावा देंगे जिनकी वापसी निर्णय के अधीन है।

(2) अनुच्छेद 11 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऑस्ट्रियाई पक्षकार स्वैच्छिक वापसी के लिए आवश्यकता पड़ने पर रिटर्न काउंसलिंग के साथ-साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपनी इच्छा पर जोर देती है। इसके अलावा, भारत गणराज्य में लौटने वालों को आगमन के बाद और वापसी के बाद की सहायता के साथ-साथ पुनर्एकीकरण सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

अनुच्छेद 13

अनियमित प्रवास और मानव तस्करी की रोकथाम

(1) दोनों पक्षकार अनुभव साझा करने और अनियमित प्रवासन, मानव तस्करी से लड़ने के लिए क्षमताओं को मजबूत करने और आपसी यात्राओं सहित इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कार्रवाई का एक सामान्य कार्यक्रम विकसित करेंगे।

(2) दोनों पक्षकार सक्षम प्राधिकारियों के लिए संपर्क पतों का आदान-प्रदान करने और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने एवं अधिकारियों को अवैध प्रवासन नेटवर्क की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण देने के लिए सहमत हैं।

(3) दोनों पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि जिम्मेदार अधिकारी मानव तस्करी, अनियमित प्रवासन नेटवर्क और उनमें पकड़े गए व्यक्तियों के साथ-साथ प्रवासन से संबंधित संगठित अपराध पर अपनी संबंधित क्षमताओं की सीमा के भीतर और अपने राष्ट्रीय कानून, प्रक्रियाओं के अनुसार और अंतरराष्ट्रीय नियमों एवं मानकों का पूर्ण सम्मान करते हुए जानकारी साझा करेंगे। किसी भी पक्षकार के नागरिकों के दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में अनियमित प्रवासन की संख्या में वृद्धि के मामले में, संयुक्त कार्य समूह स्थिति का विश्लेषण करेगा और अनियमित प्रवासियों की संख्या को कम करने और आगे के अनियमित प्रवास को रोकने के लिए ठोस उपाय खोजने का प्रयास करेगा।

(4) यह करार इसके अनुसरण में उपलब्ध कराई गई जानकारी को कानूनी कार्रवाइयों के साक्ष्य के रूप में उपयोग करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

अनुच्छेद 14

दस्तावेज़ संबंधी धोखाधड़ी को रोकना

(1) पहचान और यात्रा दस्तावेजों की धोखाधड़ी को रोकने के संबंध में दोनों पक्षकार जाली दस्तावेजों के उपयोग को रोकने के लिए नमूना दस्तावेजों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देंगे और जाली दस्तावेजों की पहचान के विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

(2) उपलब्ध संसाधनों की सीमा के भीतर, ऑस्ट्रियाइ पक्षकार दस्तावेज़ की धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता साझा करने और जाली दस्तावेज का पता लगाने के उपकरण के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 15

प्रवासन और वापसी के मुद्दों पर संयुक्त कार्य समूह

(1) दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संयुक्त कार्य समूह गठित की गयी है। संयुक्त कार्य समूह इस करार में निर्धारित प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा, इस करार को समान रूप से लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगा और आवश्यकतानुसार इसको सुधारने के लिए सभी उपयुक्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करेगा। संयुक्त कार्य समूह सूचना के नियमित आदान-प्रदान की अनुमति प्रदान करेगा जो विशेषतः करार में उल्लिखित विशिष्ट समूहों के प्रवेश और प्रवास से संबंधित होगी।

(2) संयुक्त कार्य समूह का गठन सहमत जर्मन-भारतीय कांसुलर परामर्श पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(3) संयुक्त कार्य समूह आवश्यकतानुसार नियमित रूप से वर्ष में कम से कम एक बार किसी एक पक्षकार के देश में वैकल्पिक रूप से या किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार बैठक होगी। संयुक्त कार्य समूह की कार्यसूची और संरचना आपसी परामर्श से प्रत्येक बैठक के लिए निर्धारित की जाएगी।

(4) यदि आवश्यक हो, संयुक्त कार्य समूह इस करार के अनुबंधों में संशोधन और परिवर्धन के लिए पक्षकारों को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(5) संयुक्त कार्य समूह भारत में पूर्व-एकीकरण के उद्देश्य के लिए प्रमुख परियोजनाओं की संभावनाओं का पता लगाएगा।

अनुच्छेद 16

करार के निर्वचन एवं अनुप्रयोग संबंधी मतभेद

इस करार के निर्वचन एवं अनुप्रयोग से संबंधित समस्याओं का समाधान अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट संयुक्त कार्य समूह के भीतर या अन्यथा राजनयिक माध्यम से किया जाएगा।

अनुच्छेद 17

लागू किया जाना

यह करार दोनों पक्षकारों द्वारा एक दूसरे को राजनयिक माध्यम से इस करार को लागू करने की अपनी-अपनी राष्ट्रीय अपेक्षाआेंं के पूरा होने की सूचना देने के दूसरे महीने के प्रथम दिन से लागू होगा। प्रासंगिक तिथि अंतिम अधिसूचना प्राप्ति वाले दिन होगी।

अनुच्छेद 18

करार की अवधि, नवीनीकरण, समाप्ति तथा संशोधन

(1) यह करार लागू होने की तारीख से अनिश्चित अवधि के लिए लागू रहेगा।

(2) इस करार को किसी भी पक्षकार द्वारा राजनयिक माध्यम से छह महीने पूर्व दी गई सूचना के अधीन लिखित रूप में समाप्त किया जा सकता है। इस करार की ऐसी समाप्ति इस करार के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो।

(3) इस करार को दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से संशोधित या परिवर्धित किया जा सकता है। ऐसे संशोधन और परिवर्धन पृथक प्रोटोकॉल के रूप में तैयार किए जाएंगे, जो इस करार का एक अभिन्न अंग होंगे और अनुच्छेद 17 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लागू होंगे।

अनुच्छेद 19

अनुबंध

(1) सभी अनुबंध इस करार का एक अभिन्न अंग होंगे। इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2, 3 और 4 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुबंधों को अनुच्छेद 18, पैराग्राफ 3 के अनुसार संशोधित या पूरक किया जा सकता है।

(2) परामर्श के बाद, अनुबंध 1 और 2 में सूचीबद्ध दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेजों को राजनयिक नोट के आदान-प्रदान के माध्यम से नामित किया जा सकता है।

(3) दोनों पक्षकार राजनयिक माध्यम से एक दूसरे को अनुबंध 3 में निहित सक्षम प्राधिकारियों के सीधे संपर्क ब्यौरे और उसके बाद किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करेंगे। परामर्श के बाद अनुबंध 3 में सूचीबद्ध बिंदुओं के अलावा सीमा पार करने से संबंधित अन्य बिंदुओं को राजनयिक नोट के आदान-प्रदान के माध्यम से एेसे विशिष्ट रूपों पर सहमति दी जा सकती है।

(4) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और 3 के अनुसार संशोधन सकारात्मक राजनयिक नोट की प्राप्ति के 15 दिनों के बाद लागू होंगे।

अनुच्छेद 20

डेटा सुरक्षा खंड

सक्षम अधिकारियों द्वारा और मामले-दर-मामले के आधार पर संबंधित व्यक्ति के पुनः प्रवेश के लिए आवश्यक सीमा तक व्यक्तिगत डेटा का स्थानांतरण केवल पक्षकारों के राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों के अनुसार होगा।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी ने विधिवत अधिकृत होने के नाते इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टॉकहोम में १३ मई २०२३ को हिंदी, जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में संपन्न, सभी पाठ प्रामाणिक हैं। निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

ऑस्ट्रिया संघीय गणराज्य की सरकार की ओर से	भारत गणराज्य की सरकार की ओर से
आलैक्ज़ांडर शालनबैर्ग (Alexander Schallenberg)	सुब्रह्मण्यम जयशंकर (Subrahmanyam Jaishankar)

भारत गणराज्य की सरकार

और

ऑस्ट्रिया संघीय गणराज्य की सरकार

के बीच

एक व्यापक प्रवासन और आवाजाही सहभागिता

पर

करार

अनुबंध 1

अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता स्थापित करने के आधार के रूप में कार्य करने वाले दस्तावेज़

(संदर्भ अनुच्छेद 11(3))

राष्ट्रीयता को दस्तावेजों के आधार पर उनकी प्रामाणिकता के अधीन स्पष्ट रूप से निश्चित माना जाएगा जो निम्नानुसार अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा सत्यापित किया जाएगा:

1. एक समाप्त राष्ट्रीय पासपोर्ट; और जहां प्रासंगिक हो, यूरोपीय वीज़ा सूचना प्रणाली (वीआईएस) से निकाले गए वैध भारतीय पासपोर्ट नंबर का संदर्भ;

1) और जहां उपलब्ध हो निम्नलिखित सूचीबद्ध दस्तावेजों में से कोई एक :
2) एक राष्ट्रीय पहचान पत्र जो, वैध हो या जिसकी अवधि समाप्त हो गई हो;
3) राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र;
4) समाप्त ईटीडी/कोंसुली नि:शुल्क सीमा प्रवेश पत्र;
5) जहां प्रासंगिक हो, एक समाप्त अवधि वाला यूरोपीय यात्रा दस्तावेज यूरोपीय नि:शुल्क सीमा प्रवेश पत्र या भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज;
6) देशीयकरण या राष्ट्रीयता की बहाली का प्रमाण पत्र;
7) एक सैन्य पासबुक;
8) 19 जून 2003 के जिनेवा अभिसमय और 9 अप्रैल 1965 के लंदन अभिसमय के तहत जारी एक नाविक की डिसचार्ज बुक या नाविक का पहचान दस्तावेज;
9) कोई भी सरकारी दस्तावेज़, जो किसी अन्य सरकार द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें एक तसवीर हो और जिसमें नागरिकता का उल्लेख या स्पष्ट संकेत किया गया हो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र।

अनुबंध 2

वैध रूप से मान्य राष्ट्रीयता संबंधी दस्तावेज

(संदर्भ अनुच्छेद 11(4))

अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार की राष्ट्रीयता की वैधता के बारे में यह माना जा सकता है कि वह अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा सत्यापित और उनकी अधिप्रमाणिकता के अध्यधीन हो और निम्नलिखित सूचीबद्ध दस्तावेजों पर आधारित हो:

1) यूरोपीय वीज़ा सूचना प्रणाली (वीआईएस) से निकाले गए वैध भारतीय पासपोर्ट नंबर का संदर्भ;
2) एक राष्ट्रीय पहचान पत्र जो, वैध हो या जिसकी अवधि समाप्त हो गई हो;
3) राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता का प्रमाण पत्र;
4) समाप्त ईटीडी/कोंसुली नि:शुल्क सीमा प्रवेश पत्र;
5) जहां प्रासंगिक हो, एक समाप्त अवधि वाला यूरोपीय यात्रा दस्तावेज या भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज;
6) देशीयकरण या राष्ट्रीयता की बहाली का प्रमाण पत्र;
7) एक सैन्य पासबुक;
8) 19 जून 2003 के जिनेवा अभिसमय और 9 अप्रैल 1965 के लंदन अभिसमय के तहत जारी एक नाविक की डिसचार्ज बुक या नाविक का पहचान दस्तावेज;
9) कोई भी सरकारी दस्तावेज़, जो किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें एक तसवीर हो और जिसमें नागरिकता का उल्लेख या स्पष्ट संकेत किया गया हो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र;
10) ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेजों की फोटोग्राफिक और डिजिटल प्रतियां;
11) पुन: प्रवेश आवेदन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया;
12) अनुरोधकर्ता पक्षकार के न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संबंधित व्यक्ति से प्राप्त बयान।

अनुबंध 3

जिम्मेदारियां और पुन: प्रवेश के तौर-तरीके

(संदर्भ अनुच्छेद 11, 12, 13 एवं 14)

इस करार के अनुच्छेद को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे:

- आस्ट्रिया पक्षकार के लिए:

पुन: प्रवेश आवेदन जमा करना आैर सभी संबंधित कार्यकारी मामले: सक्षम विदेशी प्राधिकरण, आप्रवासन और शरण स्थल संबंधी संघीय कार्यालय।

भारतीय पक्ष की आेर से पुनः प्रवेश आवेदनों का प्रसंस्करण: संघीय पुलिस मुख्यालय।

इस करार के निर्वचन संबंधी विवादों का समाधान: आंतरिक संघीय मंत्रालय।

- भारतीय पक्षकार के लिए:

पुनः प्रवेश आवेदन जमा करना: सक्षम राज्य सरकारें।

पुनः प्रवेश आवेदनों का प्रसंस्करण: सक्षम राजनयिक मिशन या कोंसली प्राधिकारी।

इस करार के निर्वचन से संबंधी विवादों का समाधान: विदेश मंत्रालय। अनुच्छेद 13और 14के लिए गृह मंत्रालय सक्षम प्राधिकारी होगा।

पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी वापसी प्रक्रिया को लागू करते समय अपनी राष्ट्रीय आधिकारिक भाषा (भाषाओं) या अंग्रेजी भाषा का उपयोग करेंगे। जहां अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा का उपयोग किया जाएगा, वहां अंग्रेजी अनुवाद प्रदान किया जाएगा।

वापसी के प्रयोजनार्थ, पक्षकारों ने सीमा पार करने वाले निम्नलिखित बिंदुओं को निर्दिष्ट किया है:

- आस्ट्रिया पक्षकार के लिए: सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे।

- भारतीय पक्षकार के लिए: दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे।

दिनांक, समय, सीमा पार करने के बिंदु और अन्य वापसी संबंधी व्यवस्थाओं का निर्णय पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच आपसी करार से किया जाएगा और उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। किसी व्यक्ति को स्थानांतरित करने से पहले, स्थानांतरण की तारीख, सीमा पार करने का बिंदु और संभावित एस्कॉर्ट की जानकारी अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के सक्षम अधिकारियों को ई-मेल या संचार के किसी भी अन्य आधुनिक माध्यम के जरिए प्रेषित की जाएगी, जो इन मुद्दों पर सामान्य व्यवस्थाओं के अधीन सबसे तेज़ संभव डेटा ट्रांसमिशन है जिन पर राजनयिक माध्यम से किसी भी समय सहमति हो सकती है।

दोनों पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि वापस लाए जा रहे व्यक्तियों के साथ आने वाले एस्कॉर्ट्स के पास वीजा होने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे हवाई अड्डे के सीधे पारगमन क्षेत्र पर उतरने और उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखते हैं। जहां आवश्यक हो, दोनों पक्षकार एस्कॉर्ट्स को वीजा जारी करने में एक दूसरे को अपने समर्थन का आश्वासन देते हैं।

किसी भी अनुबंधित पक्ष के एस्कॉर्ट्स को दूसरे अनुबंधित पक्ष के क्षेत्र के भीतर संप्रभु शक्ति का कोई कार्य नहीं करना चाहिए।

***

REPUBLIK ÖSTERREICH BUNDESKANZLERAMT @ AMTSSIGNATUR	Unterzeichner	serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Datum/Zeit	2023-08-29T11:09:09+02:00
	Prüfinformation	Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
	Hinweis	Dieses Dokument wurde amtssigniert.